

297



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोगा २ वा तिपर

पुन.क्र.

5/11/17/2017/3110

श्री रमजान अहिरवादी 5/9/17 को

5/9/17

5/9/17

- 1. श्याम बाई पतिन घनश्याम कुंवाहा
- 2. नन्नी बाई पतिन रामचरन विश्वकर्मा
- 3. भूपत तनय कल्लू लोधी
- 4. मुन्नी तनय कल्लू कुम्हार
- 5. दयाराम तनय कल्लू कुम्हार निवासीयान ग्राम हीरानगर तह. जिला टीकमगढ म.प्र. पुनरीक्षकर्ता

बनाम

- 1. अयोध्याप्रसाद तनय पारीक्षा बाई नि 0 हीरानगर तह. वजिला टीकमगढ
- 2. राजस्व निरीक्षक मंडल टीकमगढ श्री रमजान बा. नि. टीकमगढ 3. प. ह. हीरानगर तह. टीकमगढ
- 4. पटवारी हल्का आत्मपुरा धनीराम अहिरवादी नि. टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र. पुनरीक्षकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत कायलिय राजस्व निरीक्षण मंडल टीकमगढ म.प्र.

के प्रोक्र077/अ-12/16-17मे पारित आदेश दि. 25/7/2017 के विरुद्ध

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि तहसील टीकमगढ अंतर्गत ग्राम हीरानगर के ख. न. 85/1, 86/1, की भूमि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की है तथा ख. न. 88 उत्तर की जिला में शासकीय रास्ता तह तत्पश्चात उत्तर की जिला में लगा हुआ ख. न. 89 पुनरीक्षणाओं का है।

2. यह कि ख. न. 89 की रिजिस्ट्रीया श्याम बाई कुंवाहा, नन्नी बाई विश्वकर्मा भूपत लोधी मुन्नी कुम्हार के नाम से हुई थी इस कारण वह विवाद पक्षकार है जब कि प्रतिवेदन एवं पंचनामा में घनश्याम कुंवाहा रामचरन विश्वकर्मा कल्लू लोधी मुन्नी कुम्हार दयाराम कुम्हार का कब्जा अंकित किया है जो श्रीमान के समक्ष विचाराणीय है और इस वाक्य प्रथक से विवाद पक्षकार का आवेदन किया गया है। प्रश्न यह है कि भूमियों का सीमांकन वर्ष 2013-14 एवं दिनांक 6/7/14 को किया गया था जिसमें पुनरीक्षणाओं का मकान निर्माण एवं कब्जा ख. न. 89 में क्ल्यागया है जो लिखित सूची के क्र. 1, 2 एवं 3 पर अंकित किया गया है जो श्रीमान के समक्ष विचाराणीय है पुनः इस भूमि का सीमांकन दिनांक 18/1/15 को रा. 0 टीकमगढ ने अपने प्रोक्र0173/अ12/13-14 दिनांक 8/1/15 को करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे पुनरीक्षणाओं के मकान व कब्जा ख. न. 89 में अंकित किया गया है। तथा 1 नवम्बर मीकी की स्थिति का स्पष्ट दर्शाया गया है जिससे ख. न. 88 एवं ख. न. 89 के मध्य शासकीय रास्ता है जो आज भी कुली हुई डली है रास्ता के एक छोर पर और कमी भी आवेदक व अनावेदक पक्षकार कृषि कार्य हेतु स्वीकार और दोनों पक्षकारों की बागड़ पुनरीक्षणाओं की दक्षिण दिशा में तत्पश्चात रास्ता दक्षिण दिशा में तत्पश्चात दक्षिण दिशा में प्रति. पुन. क्र. 1 की भूमि स्थित है जब हंडोवस्त में रास्ता उभिट की थी जो वर्तमान में एक जरीज की होगी है तब पुनरीक्षणाओं को पी. डब्ल्यू. डी. से मुआफ़ा आवाजा की मांग करना चाहिए।

प्रति.

र

दिनांक

ध

13

मे

16

ने

यह

TO नि

कृप


मोगा

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3110

श्यामबाई आदि विरुद्ध अयोध्याप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़, जिला-टकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 77/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p>	<p align="right">  (आर.के. जैन) 21/3/19 सदस्य </p>